हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय
Registered & Head Office

भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT.OF INDIA

HINDUSTAN COPPER LIMITED

CIN No. : L27201WB1967GO1028825

ताम्र भवन TAMRA BHAVAN
1, आशुतोष चौधरी एवेन्यू
1, Ashutosh Chowdhury Avenue,
पो०बॉ०सं० P.B.No. 10224
कोलकाता KOLKATA-700 019

सं.- HCL/SCY/*SE/ 2026* 22.09.2026

सेवा में,
बी.एस.ई.लिमिटेड,
फिरोज जीजीभ्वाय टॉवर,
दलाल स्ट्रीट,
मुम्बई- 400 001
BSE Scrip Code 513599

सेवा में,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.,
एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक-जी,
बांद्रा- कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट),
मुम्बई- 400 051
NSE Symbol : HINDCOPPER

विषय: SEBI LODR नियम, 2015 के विनियम 30 के शेड्यूल III के पार्ट B के पैरा 8 के तहत किसी घटना या जानकारी का खुलासा

महाशय/महोदया,

दिनांक 04.05.2026 के हमारे समसंख्यक पत्र के सिलसिले में, जो अन्य बातों के अलावा 'हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बनाम मेसर्स IVRCL-MCCDL-TCL-DM कंसोर्टियम' और 'मेसर्स IVRCL-MCCDL-TCL-DM कंसोर्टियम बनाम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड' के मामलों से संबंधित था, निम्नलिखित अपडेट प्रस्तुत है:

क्र.सं.	वांछित सूचना	विवरण
1	ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में स्थिति में किसी भी बदलाव और/या किसी भी घटनाक्रम का विवरण;	16.09.2026 के आदेश (जो 21.09.2026 को प्राप्त हुआ) के तहत, जबलपुर के वाणिज्यिक अदालत ने HCL के खिलाफ पारित आर्बिट्रेशन अवार्ड के अमल पर सशर्त रोक लगा दी है। शर्तें निम्न प्रकार हैं: 1. आर्बिट्रेशन अवार्ड की राशि का 50% हिस्सा बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा। 2. अवार्ड की शेष 50% राशि और खर्चों को, परिसंपत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बॉन्ड के रूप में, निष्पादन न्यायालय (execution court) के समक्ष जमा किया जा सकता है। इसके साथ यह शर्त होगी कि जब भी निष्पादन न्यायालय निर्देश देगा, तब यह राशि न्यायालय में जमा करानी होगी; ऐसा न करने पर उक्त संपत्तियों को कुर्क करके बेच दिया जाएगा।

		3. राशि जमा करने के बाद, उपर्युक्त न्यायालय HCL द्वारा दायर 'आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, 1996' की धारा 34 के तहत आवेदन पर सुनवाई करेगा।
2	यदि मुख्य प्रबंधन कर्मियों, प्रमोटर या नियंत्रण रखने वाले अंतिम व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही चल रही हो, तो ऐसी कार्यवाही की स्थिति में होने वाले किसी भी बदलाव और/या उससे जुड़े किसी भी घटनाक्रम की जानकारी नियमित रूप से दें।	लागू नहीं।
3	कार्यवाहियों के निपटारे की स्थिति में, ऐसे निपटारे का विवरण दें, जिसमें शामिल हों - निपटारे की शर्तें, दिया गया मुआवजा/जुर्माना (यदि कोई हो) और सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय स्थिति पर इस निपटारे का प्रभाव।	कुछ नहीं, क्योंकि मामला विचाराधीन है।

उपर्युक्त SEBI (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यक्ताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 के तहत आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत है।

धन्यवाद ।

भवदीय,
ह0/-
(मृत्युंजय कुमार देव)
कंपनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी